न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–40/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00167)

1. श्रीमती नाथी पत्नी स्व. नारायण लाल,
2. कु. फौरन्ता उम्र 15 वर्ष पुत्र स्व. नारायण लाल नाबालिंग जरिये वली माता श्रीमती नाथी देवी पत्नी स्व. श्री नारायण लाल, निवासीयान ग्राम छापरी, तहसील फागी जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार फागी, जिला जयपुर।
2. रामजीलाल पुत्र सूरजकरण, जाति जाट निवासी छापरी तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत नारेडा तहसील फाग जिलो जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 31.12.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार फागी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 28.05.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 492 जो मृतक सूरजकरण की विरासत का ग्राम पंचायत नारेड़ा तहसील फागी ने सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम दिनांक 21.12.2009 को खोला जिसकी विपक्षी संख्या 2 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहॉ अपील संख्या 2/2010 को पेश की जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी ने दिनांक 31.10.2013 को अपील तहसीलदार को रिमाण्ड कर निर्देशित कर निर्देश दिये गये कि समस्त पक्षकारों का सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 03.12.2009 के तहत विवेचन करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार पर निर्णय करें जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को न तो विधिवत नोटिस जारी किया गया, और ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मृतक सूरजकरण की चार पुत्रीयॉ रसाल, भंवरी, तीज एवं रामक्या की शादी मृतक सूरजकरण की मृत्यु दिनांक 21.04.2004 से पूर्व हो चुकी थी तथा व सब अपने–अपने ससुराल में रहती है इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 से पूर्व होने से उक्त पैतृक सम्पत्ति में पुत्रीयों का कोई अधिकार नही होने से उनका हकत्याग का कानूनन प्रभावी नही होने से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि मृतक सूरजकरण के एक पुत्र नारायण का देहान्त दिनांक 16.02.2000 को हो चुका है तथा अपीलार्थीया श्रीमती नाथी देवी एवं उसकी एक पुत्री मात्र 1 वर्ष

P.T.O.

की फोरन्ता ही उसके वारिस है तथा दूसरा पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामजीलाल का मृतक सूरजकरण के जीवन काल से उक्त विवादित भूमि किता 12 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम छापरी मे 1/2, 1/2 हिस्से पर आज तक कब्जा काश्त है तथा अपीलार्थी एक विधवा एवं नाबालिंग होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मृतक सूरजकरण की पत्नी छोटा देवी एवं उसकी चारों पुलित्रयों को मुगलता देकर अपीलार्थीया के जायज हक, हकूकों से महरूम करने की गरज से हकत्याग कराया है, तद अपीलार्थीया के हक, हकूकों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलार्थीया को दिनांक 24.02.2015 को जब वह अपने 1/2 हिस्से की भूमि में बोई चने की फसल की रखवाली कर रही थी तब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामजीलाल ने अपीलार्थीया को ऐलानिया धमकी दी कि मैने मेरे पिता की सम्पूर्ण भूमि मेरे अकेले का नाम तहसीलदार फागी से करवा ली है इसमें तुम्हारे हिस्से की भूमि में बोई हुई काश्त नही काटने दूँगा, इस पर अपीलार्थीया अपने भाई को साथ लेकर तहसीलदार फागी के कार्यालय में दिनांक 26.02.2015 को गई तथा नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिसकी नकल दिनांक 27.02.2015 को प्राप्त हुई, दिनांक 24.02.2015 से पूर्व उक्त अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीया को कोई जानकारी नही थी, इस प्रकार जानकारी की दिनांक से अपीलान्ट द्वारा अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकरक अधीनस्थ न्यायालय ,तहसीलदार फागी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सूरजकरण के दो पुत्र, चार पुत्रीयॉ एवं पत्नी इस प्रकर कुल 7 वरिसान थे तथा अपीलान्ट के अलावा मृतक के शेष सभी वारिसान द्वारा अपने हिस्से की आराजी का हकत्याग रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 03.12.2009 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में किया गया है ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण हकत्याग पत्र के आधार पर हिस्से अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिये था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या 492 विधि विरूद्ध तारीके से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी के समक्ष प्रस्तुत करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी के आदेश दिनांक 31.10.2013 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी को रिमाण्ड किया गया है एवं न्यायालय तहसीलदार फागी द्वारा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2014

P.T.O.

पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार सूरजकरण के कुल सात वारिसान पत्नी, दो पुत्र, एवं चार पुत्रीयॉ है जिनमें में खातेदार की पत्नी एवं चारों पुत्रीयों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से, हक का हकत्याग रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 03.12.2009 के द्वारा किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त हकत्याग पत्र को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त हकत्याग पत्र वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलन में है ऐसी स्थिति में जब हकत्याग पत्र वर्तमान में भी प्रचलन में एवं प्रभावी है तो उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2014 को अनुचित ठहराने के ठोस कारण न्यायालय हाजा के समक्ष उपलब्ध नही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी जिला जयपुर द्वरा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2014 विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फागी जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2014 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।